

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ़ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए 3-06-2021-1-पांच (41).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की अनुशंसाओं पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017, को और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 है.

(2) ये नियम 01 मई 2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

2. उक्त नियमों में,—

(एक) नियम 36 में, उप-नियम (4) में, प्रथम परंतुक में, “पूर्ण विराम” के स्थान पर “कोलन” स्थापित किया जाए तत्पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल और मई, 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई, 2021 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्त के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी.”;

(दो) नियम 59 में, उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह अप्रैल, 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, उक्त ब्यौरों को, मई 2021 के पहले दिन से मई, 2021 के 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकेगा.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए 3-06-2021-1-पांच (41).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-06-2021-1-पांच (41), दिनांक 08 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F A 3-06-2021-1-V(41).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby, makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on 01st May 2021.

2. In the said rules,—

(i) In rule 36, in sub-rule (4), in first proviso, for “full stop”, “colon” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April and May, 2021 and the return in FORM GSTR-3B for the tax period May, 2021 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the conditions above.”;

(ii) In rule 59, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that a registered person may furnish such details, for the month of April, 2021, using IFF from the 1st day of May, 2021 till 28th of May, 2021.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.